[2022] 19 एस. सी. आर. 563

विजय राजमोहन

वी.

पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई. द्वारा राज्य प्रतिनिधि,

ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1746)

11 अक्टूबर, 2022

[बी. आर. गवई और पामिदिघंतम श्री

नरसिम्हा, जेजे।]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1981 - एस. 19-केंद्रीय सतर्कता

आयोग अधिनियम, 2003-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-दिल्ली

विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946-लोकपाल और लोकायुक्ता

अधिनियम, 2013-क्या नियुक्ति प्राधिकरण का आदेश लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी पी. सी. अधिनियम की धारा 19 को आदेश के अनुसार कार्य करने के आधार पर अवैध बना दिया जाएगा।

यदि वह अपने निर्णय के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करता है आयोजित किया गयाः कानून की स्थिति और सद्गुण द्वारा प्राप्त कानूनी शासन

पाँच विधानों में से, Cr.P.C, डीएसपीई अधिनियम, पीसी अधिनियम, सीवीसी अधिनियम और

भ्रष्टाचार के विषय पर लोकपाल अधिनियम, एकीकृत योजना के रूप में काम करता है-इन पांच कानूनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि अधिकारी सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें

विशेष रूप से प्रदान करने का कर्तव्य और कार्य सौंपा गया है विषय पर विशेषज्ञ सलाह-नियुक्ति के लिए यह आवश्यक हो सकता है।

सीवीसी की राय लेने से पहले उसे बुलाने और लेने का अधिकार

- द.

अभियोजन के लिए मंजूरी के अनुरोध पर कोई निर्णय

वैधानिक योजना जिसके तहत नियुक्ति प्राधिकारी सीवीसी की सलाह ले सकता है, ले सकता है और उस पर विचार कर सकता है, उसे न तो आदेश के तहत कार्य करने वाला कहा जा सकता है और न ही ऐसा कारक जिसे कहा जा सकता है

एक अप्रासंगिक विचार-सीवीसी की राय केवल सलाहकार है

- फिर भी यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मूल्यवान योगदान है।

नियुक्ति प्राधिकारी का-नियुक्ति का अंतिम निर्णय

स्वतंत्र मन के प्रयोग से अधिकार अपने आप में होना चाहिए -

इस प्रकार, नियुक्ति प्राधिकारी की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है,

डी. ओ. पी. टी., यदि वह माँग करता है, संदर्भित करता है, और राय पर विचार करता है

सीवीसी मंजूरी के अनुरोध पर अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले

एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाना-वर्तमान मामले में, पत्राचार और दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संचार की जांच करने पर।

सी. बी. आई., डी. ओ. पी. टी. और सी. वी. सी., यह पाया गया है कि नियुक्ति प्राधिकरण, डी. ओ. पी. टी. द्वारा की गई जांच केवल अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए थी, और विशेष रूप से सी. वी. सी. द्वारा दी गई राय भी है।

सलाहकार-डी. ओ. पी. टी. का दिनांकित 24.07.2017 का मंजूरी आदेश एक है उस विभाग का स्वतंत्र निर्णय जो उसके समक्ष की सामग्री के आधार पर लिया गया था-अपीलार्थी की याचिका कि

मन का उपयोग न करने या आदेश के तहत कार्य करने के कारण मंजूरी अवैधता से ग्रस्त है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1981 - धारा 19-केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 - धारा 8 (1) (च)-क्या तीन महीने की अवधि (कानूनी परामर्श के लिए एक और महीने तक बढ़ाई जा सकती है-धारा 8 के दूसरे प्रावधान के माध्यम से 2018 के संशोधन के अनुसार। 19 (1) पी. सी. अधिनियम) नियुक्ति प्राधिकरण के लिए एक अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए मंजूरी अनिवार्य है या नहीं और क्या आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि निर्णय अनिवार्य अवधि के भीतर नहीं लिया जाता है-आयोजितः कानूनी परामर्श के लिए एक और महीने के लिए बढ़ाई गई तीन महीने की अवधि अनिवार्य है-इस अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने का परिणाम उसी कारण से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना नहीं होगा-सक्षम

प्राधिकरण देरी के लिए जवाबदेह होगा और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगा।

सी. वी. सी. द्वारा समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (च)।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.197-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1981। 97 - आयोजित किया गयाः इसके पीछे सार्वजनिक नीति

राज्य की मंजूरी के बिना अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करना लोक सेवक को उत्पीड़न और उत्पीड़न से बचाना है।

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन-यही कारण है कि सद्भावना सद्भावना से वैधानिक कर्तव्यों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों में खंड शामिल किए गए हैं-सांविधिक प्रावधान

अभियोजन से पहले मंजूरी की आवश्यकता या तो यू / s.197 Cr.P.C. या यू / पी. सी. अधिनियम की धारा 97 भी उसी उद्देश्य को पूरा करने का इरादा रखती है

एक लोक सेवक की रक्षा करना-हालांकि, उक्त संरक्षण न तो कर्तव्य की लापरवाही के खिलाफ एक ढाल है और न ही भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिरक्षा-सीमित प्रतिरक्षा या बार केवल नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा मंजूरी के अधीन है-मंजूरी का अनुदान कार्यकारी शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के मानक सिद्धांतों के अधीन है।

विजय राजमोहन बनाम। पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

प्रशासनिक कानून-जवाबदेही का सिद्धांत-आयोजितः

जवाबदेही के सिद्धांत को मानवाधिकार ढांचे की आधारशिला माना जाता है-यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्राधिकरण में "कर्तव्य धारकों" और उनके कार्यों से प्रभावित "अधिकार धारकों" के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है-जवाबदेही के तीन आवश्यक घटक आयाम-(i) जिम्मेदारी, (ii) जवाबदेही और (iii) प्रवर्तनीयता-चर्चा की गई।

226 [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 595; सुब्रमण्यम स्वामी वी. मनमोहन सिंह और अन्र. (2012) 3 एससीसी 64: [2012] 3

एस. सी. आर. 52-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 3 पूरक। एससीआर 705

पैरा

16

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

[2012] 3 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1746 2022 तक।

उच्च के 06.01.2022 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

सी. आर. एल. में मद्रास में न्यायिक न्यायालय। आर. सी. 2019 का सं. 349।

महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार

उपाध्याय, सुश्री मुग्धा पांडे, वाई. लोकेश, वी. सिबी कारगिल, वी. कंधा प्रभु, अरुण सिंह, अनुभव चतुर्वेदी, पंकज कुमार अग्रवाल, सूर्य नारायण पात्रो, राजेश उदित सिंह, एन. बी. वी. श्रीनिवास रेड्डी, सुश्री शिवानी तुशीर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., साइरिका एस. राजू, मुकुल सिंह, जोहेब

हुसैन, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. इसमें विचार के लिए कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

अपील करें। पहला सवाल यह है कि क्या नियुक्ति प्राधिकरण का आदेश [2022] 19 एस. सी. आर. की धारा 19 के तहत किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 1 को आदेश के अनुसार कार्य करने के आधार पर अवैध घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने निर्णय के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या नियुक्ति प्राधिकरण के लिए मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की अवधि (कानूनी परामर्श के लिए एक और महीने तक बढ़ाई जा सकती है) अनिवार्य है या नहीं। इस संदर्भ में आगे का सवाल यह है कि यदि अनिवार्य अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो क्या आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

इस अपील को दायर करने के लिए तथ्य

3. अपीलार्थी मद्रास 3 में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देता है जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई है।

इस आधार पर कि पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी का आदेश, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग का उपयोग न करने के कारण दूषित है।

4. अपीलार्थी केंद्रीय सचिवीय सेवा, भारत सरकार का एक अधिकारी होता है। 01.01.2005 से के बीच की अवधि के दौरान

31.10.2012 , जब उनकी आधिकारिक पोस्टिंग नई दिल्ली और बैंगलोर में थी, तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसी संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। 31.12.2012 तक, उनके और उनके रिश्तेदारों के पास रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई। 79,17,593 / - . केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपीलार्थी, उसके पिता और उसकी माँ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 18606 की धारा 109 के तहत पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) और 13 (2) के साथ एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

1 इसके बाद 'पी. सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है। पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) के दूसरे प्रावधान के माध्यम से 2018 के संशोधन के अनुसार। 3 2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 349 दिनांक 06.01.2022। 4 आपराधिक विविध। 2018 की सी. सी. संख्या 3 में 2018 की याचिका संख्या 3908 दिनांक 13.12.2018। 5 इसके बाद 'सी. बी. आई.' के रूप में संदर्भित किया गया।

6 इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 7 इसके बाद इसे 'डीओपीटी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

विजय राजमोहन बनाम। पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

6. मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लगभग दो महीने बाद,

26.11.2015 , डी. ओ. पी. टी. ने मामले के तथ्यों की जांच की और सी. बी. आई. से 23 स्पष्टीकरण मांगे। उसके एक महीने बाद यानी आई. डी. 1 पर सी. बी. आई. ने उन्हीं प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिया। समीक्षा करने पर स्पष्टीकरण में, डी. ओ. पी. टी. का मानना था कि सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच में कई त्रुटियाँ थीं, और इसलिए उसने 07.01.2016 पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय मांगी।

7. सी. वी. सी. ने इसका अनुसरण किया और सी. वी. सी. की राय के ढाई महीने बाद आई. डी. 1 पर सी. बी. आई. से स्पष्टीकरण मांगा। सी. बी. आई. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों की जांच करने के बाद, सी. वी. सी. का मानना था कि यह मंजूरी देने के लिए एक मजबूत मामला है बशर्ते कि सी. बी. आई. मामले के कुछ पहलुओं पर फिर से जांच करे। इस राय को डीओपीटी को 01.06.2016 पर सूचित किया गया था।

8. चूंकि दिनांक 01.06.2016 का संचार स्पष्ट नहीं था, इसलिए डीओपीटी ने दिनांक 26.08.2016 के पत्र के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि क्या सीवीसी ने

मंजूरी देने की सिफारिश की या क्या सी. वी. सी. ने सी. बी. आई. को फिर से जाँच करने की सलाह दी थी। एक महीने बाद, डी. ओ. पी. टी. को सी. वी. सी. ने स्पष्ट किया कि सी. बी. आई. को मामले की फिर से जांच करनी चाहिए और अपने संशोधित निष्कर्षों के साथ आना चाहिए। तदनुसार, डीओपीटी ने सीवीसी को सूचित किया

05.10.2016 कि वह पुनः जाँच पूरी होने और सी. बी. आई. से एक नया प्रस्ताव प्राप्त होने तक अपीलार्थी के अभियोजन के लिए मंजूरी के प्रस्ताव को बंद मान लेगा। इस समय तक मंजूरी के लिए अनुरोध किए हुए तेरह महीने बीत चुके थे।

9. इस बीच, आई. डी. 1 पर सी. बी. आई. ने सी. वी. सी. द्वारा पूछे गए सात प्रश्नों के लिए एक संशोधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उसी से संतुष्ट होकर,

सीवीसी ने डीओपीटी को मंजूरी देने के लिए 25.11.2016 पर सलाह दी। प्रस्ताव का जवाब देते हुए डी. ओ. पी. टी. ने अपने दिनांकित 16.12.2016 के पत्र में यह जानना चाहा कि क्या सी. बी. आई. ने पुनः जांच पूरी कर ली है, जिस पर सी. वी. सी. ने जवाब दिया। 09.02.2017 पर, यह कहते हुए कि वह सी. बी. आई. के प्रस्ताव से संतुष्ट है। अंत में, 24.07.2017 पर, डी. ओ. पी. टी. ने अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी। इस प्रकार, सी. बी. आई. द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी का अनुरोध करने वाला प्रस्ताव

08.09.2015 लगभग एक वर्ष और दस महीने के बाद मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा 24.07.2017 पर दिया गया था।

विचारण न्यायालय के समक्षः

10. अपीलार्थी ने सी. बी. आई. के प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष Cr.P.C की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया। यह आवेदन

8 इसके बाद 'सीवीसी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आधार पर दायर किया गया था कि मंजूरी का आदेश बिना दिमाग के आवेदन के पारित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने दिनांक 13.12.2018 के आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया। अनुमति देने का कारण

निष्कासन के लिए आवेदन यह था कि डीओपीटी अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहा और केवल सीवीसी द्वारा दी गई सलाह पर भरोसा किया।

उच्च न्यायालय के समक्षः

11. सी. बी. आई. के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश के उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ, राज्य ने धारा 397 के तहत आपराधिक संशोधन याचिका दायर की।

Cr.P.C., जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी

मद्रास। उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (जी) के तहत सीवीसी का एक कार्य मंजूरी देने के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देना है। इस प्रकार, यह राय दी गई कि सीवीसी की सलाह को अप्रासंगिक सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि डी. ओ. पी. टी. ने सी. वी. सी. की सलाह के अलावा सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा था और मंजूरी देने से पहले स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया था।

अपीलार्थी पर मुकदमा चलाएँ। यह उच्च न्यायालय का आदेश है जो हमारे सामने विवादित है।

विद्वान सलाहकारों की प्रस्तुतियाँः

12.1 श्री महेश जेठमलानी विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री पी. वी. योगेश्वरन, ए. ओ. आर. ने अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए दो दलीलें दीं। सबसे पहले, श्री जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि डीओपीटी द्वारा दिनांक 24.07.2017 द्वारा मंजूरी का अनुदान एक स्वतंत्र दिमाग के अनुप्रयोग के बिना है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन के लिए मंजूरी दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से प्रभावित थी क्योंकि डीओपीटी ने सीवीसी के निर्देश पर काम किया था, और इस उद्देश्य के लिए, उक्त मंजूरी आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। इस निवेदन के समर्थन में, उन्होंने मनसुखलाल मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

विठ्ठलदास चौहान बनाम। गुजरात राज्य 1 0.

12.2 श्री जेठमलानी का दूसरा निवेदन अभियोजन की मंजूरी देने में देरी के बारे में है। जबकि सीबीआई ने अनुरोध किया कि

18.09.2015 पर मंजूरी का आदेश लगभग दो साल बाद 24.07.2017 पर पारित किया गया। श्री जेठमलानी के अनुसार, यह देरी घातक है, जिसका परिणाम यह है कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने विनीत नारायण और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। वी. भारत संघ & Anr.[11] 11 का अनुसरण किया गया

इसके बाद इसे 'सीवीसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है।

10 (1997) 7 एस. सी. सी. 622 11 (1998) 1 एस. सी. सी. 226 विजय राजमोहन बनाम

पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मनमोहन सिंह और अन्र. 1 2 12 जिसके अनुसार इस न्यायालय ने मंजूरी देने के लिए तीन महीने की बाहरी सीमा निर्धारित की है।

13.1 श्री एस. वी. राजू, भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करेंगे कि डीओपीटी, अभियोजन के लिए मंजूरी देते समय,

केवल सी. वी. सी. की रिपोर्ट माँगी और उस पर विचार किया और वास्तव में अपने स्वतंत्र दिमाग को लागू किया। उन्होंने अपनी बात को अच्छा बनाने के लिए हमें सी. बी. आई., सी. वी. सी. और डी. ओ. पी. टी. के बीच पत्राचार के माध्यम से ले गए।

13.2 श्री जेठमलानी द्वारा की गई दूसरी दलील का जवाब देते हुए विद्वान ए. एस. जी. ने कहा कि इस मुद्दे को कभी भी किसी भी समय नहीं उठाया गया था।

रीः मुद्दा संख्या 1-यदि नियुक्ति प्राधिकारी, डी. ओ. पी. टी. सी. वी. सी. की राय और सलाह को संदर्भित करता है और उस पर विचार करता है, तो क्या मंजूरी का आदेश विवेकहीन होने और आदेश के अनुसार कार्य करने के कारण अवैध है? 15. शुरुआत में, हम श्री जेठमलानी द्वारा निर्भर किए गए मनसुखलाल (ऊपर) के अनुपात पर ध्यान देंगे। निर्णय के प्रासंगिक भाग में कहा गया है कि "यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंजूरी देने के लिए बाध्य या मजबूर है, तो आदेश इस कारण से खराब होगा कि विवेकाधिकार छीन लिया गया है", यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 18. अतः मंजूरी की वैधता मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री और इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों, सामग्री और साक्ष्य पर विचार किया गया है। विचार का अर्थ है मन का प्रयोग। मंजूरी का आदेश पूर्व में होना चाहिए

प्रत्यक्षतः यह खुलासा करता है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य और अन्य सामग्री पर विचार किया था। इस तथ्य को बाहरी साक्ष्य द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है

यह दिखाने के लिए कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था, न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक फाइलें।
19. चूँकि "मंजूरी" की वैधता इस पर निर्भर करती है कि

मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और साक्ष्य के लिए मन की प्रयोज्यता, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि मंजूरी

प्राधिकरण को वास्तविक संतुष्टि पैदा करने के लिए अपने स्वयं के स्वतंत्र दिमाग को लागू करना होगा कि अभियोजन को मंजूरी दी जानी है या नहीं। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का मन किसी भी हिस्से के दबाव में नहीं होना चाहिए और न ही किसी बाहरी बल को किसी न किसी तरह से निर्णय लेने के लिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि मंजूरी देने या न देने का विवेकाधिकार पूरी तरह से मंजूरी देने वाले प्राधिकरण में निहित है, इसलिए इसका

विवेकाधिकार को किसी से प्रभावित नहीं दिखाया जाना चाहिए

बाहरी विचार। यदि यह दिखाया जाता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी किसी भी कारण से अपने स्वतंत्र दिमाग को लागू करने में असमर्थ था या मंजूरी देने के लिए एक दायित्व या मजबूरी या बाधा के तहत था, तो आदेश इस कारण से बुरा होगा कि प्राधिकरण का "मंजूरी नहीं देने का विवेक" हटा लिया गया था और अभियोजन को मंजूरी देने के लिए यांत्रिक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था।

16. मनसुखलाल (उपरोक्त) में निर्णय वर्ष 1997 में दिया गया था, जब दंड प्रक्रिया संहिता में विधायी परिवर्तन किए गए थे।

19731 3, नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा, यह निर्णय सीवीसी अधिनियम के अधिनियमन और पीसी अधिनियम में संशोधन से पहले लिया गया था। इसलिए श्री जेठमलानी का समर्पण कानून की प्रगति को नजरअंदाज करता है, जिसे हमने यहां समझाने का प्रयास किया है।

17. पी. सी. अधिनियम के तहत संघ के एक कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी में आई. डी. 1, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 1,4, पी. सी. अधिनियम और सी. वी. सी. अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों का आह्वान शामिल होगा, जो सभी एक एकीकृत योजना का गठन करते हैं। कानूनी व्यवस्था जिसमें संबंधित मामलों के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट कानून शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच, जांच, मंजूरी और अभियोजन अच्छी तरह से एकीकृत हैं और इन्हें निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता हैः

13 इसके बाद 'Cr.P.C' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 14 इसके बाद 'डी. एस. पी. ई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

विजय राजमोहन बनाम। निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य

पुलिस, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री]

नरसिम्हा, जे।]

I. Cr.P.C की धारा 197 एक अनिवार्य आवश्यकता प्रदान करती है

न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और जनता के अभियोजन के लिए मंजूरी

सेवक। इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने इसकी पहचान की है

दो सिद्धांत, जो हैं, (ए) प्रासंगिक सामग्री होनी चाहिए

निर्णय लेने से पहले मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है;

और (ख) मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के निर्णय को स्वयं ही इंगित करना चाहिए।

कि उसने मंजूरी देने से पहले अपना दिमाग लगाया था। इसमें यह संदर्भ है कि इस न्यायालय का निर्णय मनसुखलाल (ऊपर) में

[धारा 197, Cr.P.C] को समझना चाहिए।

II. पी. सी. अधिनियम की धारा 19 में भी एक आवश्यकता का प्रावधान है -

अभियोजन से पहले मंजूरी। होने के लिए कानून की आवश्यकता

मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखी गई प्रासंगिक सामग्री भी

जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा मन का स्वतंत्र अनुप्रयोग लागू होता है,

पी. सी. अधिनियम 1 6 [धारा 19, पी. सी.] के तहत मंजूरी के लिए समान शक्ति के साथ

अधिनियम]।

III. मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को पहुंचने में सहायता करने के उद्देश्य से एक निर्णय पर, सरकार ने 1997 के एक प्रस्ताव के माध्यम से, गृह मंत्रालय के तहत एक निकाय का गठन किया, जिसे

सीवीसी। द्वारा गठित एक स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई. आर. सी.)

भारत सरकार ने वैधानिक दर्जा देने का भी सुझाव दिया सीवीसी के लिए। यह सिफारिश मजबूर करने वाली हो गई जब

विनीत नारायण (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय। ये दिशा-निर्देश इसके परिणामस्वरूप वैधानिक देने के लिए तीन अध्यादेशों की घोषणा की गई

सीवीसी का दर्जा, और अंततः, 2003 में, संसद ने अधिनियमित किया

सीवीसी अधिनियम।

IV. सी. वी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि आयोग

जाँच या जाँच कराने के लिए गठित किया गया

रोकथाम के तहत किए गए कथित अपराध भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988। सी. वी. सी. अधिनियम की धारा 8 साक्ष्य

15 पंजाब और अन्न राज्य। वी. मोहम्मद. इकबाल भट्टी (2009) 17 एस. सी. सी. 92; रोमेश लाल जैन बनाम। नागिंदर सिंह राणा और अन्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 295। 16 राज्य (भ्रष्टाचार रोधी शाखा) v. आर. सी. आनंद (डॉ.), (2004) 4 एस. सी. सी. 615; सी. एस. कृष्णमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य, (2005) 4 एस. सी. सी. 81; कर्नाटक राज्य बनाम। अमीरजन, (2007) 11 एस. सी. सी. 273; सी. बी. आई. बनाम। अशोक कुमार अग्रवाल (2014) 14 एस. सी. सी. 295। वास्तव में विवेक बत्रा बनाम। भारत संघ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः - " 12 सीवीसी की राय, जिसकी पुष्टि की गई थी और अंततः मंजूरी के अनुसार प्रबल हुई थी, को इस कारण से अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) के खंड (जी) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को ऐसे मामलों पर सलाह देना सीवीसी के कार्यों में से एक है जिन्हें सरकार द्वारा भेजा जा सकता है।

तीनों अभिकरणों की शक्तियों और कर्तव्यों की परस्पर क्रिया

मंजूरी प्राधिकरण (केंद्र सरकार), अभियोजन पक्ष

एजेंसी (सी. बी. आई.), और सलाहकार निकाय (सी. वी. सी.), सभी शासन में अखंडता सुनिश्चित करने के समान सार्वजनिक हित का पालन करते हैं। निम्नलिखित प्रावधान इसी बात का प्रमाण देते हैं। V. सी. वी. सी. इस संबंध में सी. बी. आई. पर अधीक्षण करेगा।

पी. सी. अधिनियम [धारा 8 (1) (ए) के तहत अपराधों की जांच के लिए,

सीवीसी अधिनियम।] . सीवीसी इस मामले में सीबीआई को निर्देश भी देगा।

डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन

[धारा 8 (1) (बी), सीवीसी अधिनियम]।

VI. सी. वी. सी. केंद्र द्वारा दिए गए संदर्भ पर पूछताछ करेगा।

सरकार (डी. ओ. पी. टी.) द्वारा किए गए एक कथित अपराध के बारे में पी. सी. अधिनियम [धारा 8 (1) (सी), सी. वी. सी. अधिनियम] के तहत लोक सेवक। सीवीसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी शिकायत की जांच भी करेगा।

पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप [धारा

8 (1) (घ) सी. वी. सी. अधिनियम]।

VII. सी. वी. सी. जांच की प्रगति की समीक्षा करेगा पी. सी. अधिनियम [धारा 8 (1) (ई), सी. वी. सी. के तहत अपराधों के लिए सी. बी. आई.

अधिनियम]।

VIII. सीवीसी केंद्र सरकार को सलाह देगा।

ऐसे मामलों पर जिन्हें इसे संदर्भित किया जा सकता है [धारा 8 (1) (जी), सीवीसी

अधिनियम]।

IX. सी. वी. सी. सतर्कता पर सीमित पर्यवेक्षण करेगा।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का प्रशासन [धारा 8 (1) (एच), सीवीसी अधिनियम]।

X. कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के संबंध में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियमित लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 1 7, उन चार कानूनों में और संशोधन करता है

जिन पर हमने ऊपर चर्चा की है, उन्हें एक दूसरे के साथ और एकीकृत करते हुए। लोकपाल अधिनियम ने धारा 8 में संशोधन किया और इसे जोड़ा भी गया

सीवीसी अधिनियम की धारा 8 ए और 8 बी [धारा 8 ए और 8 बी सीवीसी

अधिनियम]।

XI. जनता के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रारंभिक जांच के बाद

समूह सी या समूह डी से संबंधित कर्मचारी, यदि सीवीसी आता है

से संबंधित आचरण नियमों के उल्लंघन की प्रथम दृष्टया राय

बाद में इसे 'लोकपाल अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

विजय राजमोहन बनाम। पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

पी. सी. अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार, सी. वी. सी. (ए) सी. बी. आई. को जांच करने का निर्देश देगा, या (बी) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेगा; या (सी) इन कार्यवाही को बंद करेगा और लोकपाल अधिनियम के तहत आगे बढ़ेगा।

8 ए (1), सीवीसी अधिनियम]। यदि सी. वी. सी. किसी एजेंसी (सी. बी. आई. सहित) को जाँच करने का निर्देश देने का निर्णय लेता है, तो वह एक समय सीमा के भीतर त्वरित जाँच का निर्देश दे सकता है, और सी. बी. आई.
उस समय सीमा के भीतर सी. वी. सी. को जांच रिपोर्ट [धाराएँ

8 बी (1) और 8 बी (2), सीवीसी अधिनियम]। रिपोर्ट पर विचार करने पर, सीवीसी (ए) आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट दायर करने; या (बी) विभागीय कार्यवाही शुरू करने (धारा 8 बी (3), सीवीसी) का निर्णय ले सकता है।

अधिनियम]।

बारहवीं। अभियोजन को निर्देशित करने के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, सीवीसी मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए धारा 8 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन। [धारा 8 (1) (च), सीवीसी अधिनियम]

तेरहवीं। उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी, पी. सी. अधिनियम में 2018 के संशोधन के तहत, मंजूरी के प्रस्ताव पर निर्णय को तीन के भीतर व्यक्त करने का प्रयास करने के लिए बाध्य है।

कानूनी परामर्श की आवश्यकता होने पर एक और महीने की विस्तारित अवधि के साथ महीने। इस उद्देश्य के लिए, दिशानिर्देश हो सकते हैं -

निर्धारित किया गया। सीवीसी ने वास्तव में इस कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। [पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (1) का प्रावधान]

18. उपर्युक्त सूत्रीकरण से यह स्पष्ट है कि कानून की स्थिति और कानूनी व्यवस्था इन पाँच के आधार पर प्राप्त की गई है - भ्रष्टाचार के विषय पर कानून, एकीकृत योजना के रूप में काम करते हैं। आई. डी. 1, डी. एस. पी. ई. अधिनियम, पी. सी. अधिनियम, सी. वी. सी. अधिनियम और लोकपाल अधिनियम, इन पाँच कानूनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि अधिकारी इन कानूनों में अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। सीवीसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग है -

विशेष रूप से इस विषय पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने का कर्तव्य और कार्य सौंपा गया है। अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर कोई भी निर्णय लेने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी के लिए सीवीसी की राय लेना और उससे पूछताछ करना आवश्यक हो सकता है। जिस वैधानिक योजना के तहत नियुक्ति प्राधिकारी सीवीसी की सलाह ले सकता है, ले सकता है और उस पर विचार कर सकता है, उसे न तो आदेश के तहत कार्य करने वाला कहा जा सकता है और न ही एक ऐसा कारक जिसे अप्रासंगिक विचार के रूप में संदर्भित किया जा

सकता है। सीवीसी की राय केवल सलाह है। फिर भी यह नियुक्ति प्राधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मूल्यवान योगदान है। अंतिम निर्णय [2022] 19 एस. सी. आर.

नियुक्ति प्राधिकारी का स्वतंत्र दिमाग के उपयोग से अपना होना चाहिए। इसलिए, इस मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकरण, डीओपीटी की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है, यदि वह किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के अनुरोध पर अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय मांगता है, संदर्भित करता है और उस पर विचार करता है।

19. मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हमने सी. बी. आई., डी. ओ. पी. टी. और सी. वी. सी. के बीच पत्राचार और लंबे समय से चले आ रहे संवादों की जांच की है। हमने पाया कि नियुक्ति प्राधिकरण, डी. ओ. पी. टी. द्वारा की गई जांच केवल आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए थी, और

रीः मुद्दा संख्या 2: क्या मंजूरी आदेश जारी करने में देरी के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है? 20. राज्य की मंजूरी के बिना अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के पीछे सार्वजनिक नीति लोक सेवक को उत्पीड़न और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाना है। यही कारण है कि

सद्भावना खंड 1 8 को कानूनों में शामिल किया गया है जो राज्य को साहस, विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ सुरक्षा प्रदान करते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभभाई के भाषण को याद करना उपयुक्त है।

18 उदाहरण के लिए, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 74 या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 88 निम्नानुसार प्रदान करती हैः -

धारा 74। सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या आदेश। (2) कोई भी न्यायालय किसी वन अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब वह उसके निर्वहन में कार्य कर रहा हो या कार्य करने का इरादा रखता हो।

संघ सरकार की पूर्व मंजूरी को छोड़कर आधिकारिक कर्तव्य

जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र।

धारा 88. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खाद्य प्राधिकरण और इस अधिनियम के तहत गठित अन्य निकायों या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य

पुलिस, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री]

नरसिम्हा, जे।]

संविधान सभा की बहसों के दौरान पटेल का उल्लेख एच. एम. सीरवई ने भी राज्य 20 के तहत सेवाओं से निपटने के दौरान संविधान पर अपनी टिप्पणी में किया था।

" आज-कल, मेरे सचिव मेरे विचारों के विपरीत एक टिप्पणी लिख सकते हैं।

मैंने अपने सभी सचिवों को यह स्वतंत्रता दी है। मैंने बता दिया है।

यदि आप इस डर से अपनी ईमानदार राय नहीं देते हैं कि यह

अगर आप अपने मंत्री को नाराज करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप चले जाएं। आई. एक और सचिव लाएंगे। ' मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा।

राय की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति। (सी. ए. डी. Vol.10, पी. 51)। 21. अभियोजन से पहले मंजूरी की आवश्यकता वाले सांविधिक प्रावधान

धारा 197 Cr.P.C के तहत या पी. सी. अधिनियम की धारा 97 के तहत भी एक लोक सेवक की सुरक्षा के समान उद्देश्य को पूरा करने का इरादा है। ये सुरक्षाएँ अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अंतर्निहित

लोक सेवक की कमजोरियाँ और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता। हालाँकि, उक्त संरक्षण न तो कर्तव्य की लापरवाही के खिलाफ एक ढाल है और न ही भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ पूर्ण प्रतिरक्षा है। सीमित प्रतिरक्षा या प्रतिबंध केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के अधीन है।

22. मंजूरी का अनुदान कार्यकारी शक्ति का एक प्रयोग है, यह है

न्यायिक समीक्षा के मानक सिद्धांतों के अधीन जैसे कि स्वतंत्र दिमाग का अनुप्रयोग; केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद और अप्रासंगिक को छोड़कर

विचार करें। चूंकि अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति के कानूनी परिणाम हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत वैसे भी हमारे कानूनी ढांचे और हमारे संवैधानिक ढांचे में अंतर्निहित है।

न्यायालय बहुत बार शक्ति के विलंबित प्रयोग की वैधता और स्वामित्व की समीक्षा करते हैं। महेंद्र लाल दास बनाम। बिहार राज्य और अन्य। 21 और

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ के लिए इस 60 अधिनियम के तहत कार्य करने वाले निकाय या कोई अन्य अधिकारी।

19 संविधान सभा बहस, खंड संख्या 10, पृष्ठ 51 20 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, चौथा संस्करण, खंड 3, पृष्ठ। 2987 21 (2002) 1 एससीसी 149

" 7. भ्रष्टाचार के मामले में शामिल राशि भौतिक नहीं है, लेकिन त्वरित न्याय अभियुक्त के साथ-साथ समाज के हित में होने के कारण संविधान का अधिदेश है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को तेजी से, शीघ्रता से और बिना किसी देरी के निपटाया जाना चाहिए।

8. रामानंद चौधरी बनाम में यह न्यायालय। बिहार राज्य ने 13 साल से अधिक समय तक मंजूरी नहीं देने के कारण अभियुक्तों के खिलाफ जांच को रद्द कर दिया। वर्तमान मामले के तथ्य लगभग समान हैं। इस विलंबित चरण में अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रामानंद चौधरी बनाम। बिहार राज्य और Ors.22 इस न्यायालय ने अभियोजन के लिए मंजूरी देने में असामान्य देरी के कारण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना समीचीन पाया।

23. यह देखते हुए कि उस अवधि को निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं है जिसके भीतर मंजूरी के लिए निर्णय लिया जाना है, इस न्यायालय ने विनीत नारायण में

(सुप्रा), ने मंजूरी देने के लिए तीन महीने का मानक प्रिस्क्रिप्शन निर्धारित करके अंतराल को भरने की मांग की।

" 58. (1) (15) मंजूरी देने के लिए तीन महीने की समय सीमा

अभियोजन के लिए सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, अतिरिक्त

एक महीने का समय दिया जा सकता है जहाँ परामर्श किया जाता है।

महान्यायवादी (ए. जी.) या किसी अन्य कानून के साथ आवश्यक एजी के कार्यालय में अधिकारी "।

24. शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए विधायी सुधार

अभियोजन सीवीसी अधिनियम के अधिनियमन के साथ शुरू हुआ, जिसके तहत संसद ने सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (एफ) के तहत सीवीसी को मंजूरी के लिए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने का स्पष्ट रूप से अधिकार दिया है।

25. धारा 8 (1) (च) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीवीसी विभिन्न विभागों को दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करता रहा है। मंजूरी के लिए अनुरोधों का शीघ्र निपटान। इन विधायी परिवर्तनों और प्रशासनिक दिशानिर्देशों के बावजूद, प्रतिबंध देने में देरी जारी रही। सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में, इस अदालत ने सुझाव दिया कि

9. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि आगे अभियोजन की अनुमति देना न्याय का उपहास और जहां तक अभियोजन एजेंसी का संबंध है, केवल एक अनुष्ठान या औपचारिकता होगी, और मामले के संबंध में अनावश्यक बोझ होगा। अदालतें "।

22 (2002) 1 एससीसी 153 " 5. श्री जैन द्वारा उठाए गए कानूनी बिंदुओं में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं। इस मामले में। छापे के बाद अभियोजन पक्ष ने छह साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोक अभियोजक ने लगातार कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया गया था। स्वतंत्र रूप से विचार करने पर आयुक्त ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया लेकिन बाद में डी. आई. जी. (सतर्कता) के कहने पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन तेरह वर्षों से

अधिक समय से लंबित है और इस स्तर पर अभियोजन की अनुमति देना न्याय का उपहास होगा जिसका अर्थ होगा कि अपीलार्थी को एक और दशक के लिए परीक्षण/अपील का सामना करना पड़ेगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलार्थी के खिलाफ लंबित अभियोजन को रद्द कर देते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियाँ

(1) आयोग के कार्य और शक्तियाँ होंगी -

(च) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करें। जय राजमोहन बनाम।

राज्य ने एल. आई. सी. आई., सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री] के निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया

नरसिम्हा, जे।]

सरकार ऋण अनुदान के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकती है और निर्णय लिए जाने की अवधि के अंत तक मानित मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

" 81. मेरे विचार में, संसद को संवैधानिक पर विचार करना चाहिए

कानून के शासन को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद 14 की अनिवार्यता जिसमें

" पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 19 में उचित तरीके से काम करने के लिए एक समय सीमा लागू करके कानून की उचित प्रक्रिया को पढ़ा गया है। संसद, मेरी राय में, विचार कर सकती है

(क) मंजूरी के लिए सभी प्रस्ताव किसी भी मंजूरी से पहले रखे जाते हैं। एक के अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी

पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक सेवक का फैसला प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा। (ख) जहां अटार्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या राज्य के महाधिवक्ता के साथ परामर्श की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो, और उपरोक्त खंड (ए) में उल्लिखित तीन महीनों के भीतर यह संभव नहीं है, तो

परामर्श तीन महीने के भीतर लिखित रूप में भेजा जाना है। ऊपर खंड (क) में उल्लिखित है। उक्त अनुरोध की एक प्रति

अभियोजन एजेंसी या निजी शिकायतकर्ता को भेजा जाए

समय सीमा के विस्तार के बारे में उन्हें सूचित करना। (ग) समय-सीमा की विस्तारित अवधि के अंत में, यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मंजूरी दी गई मानी जाएगी।

अभियोजन के लिए प्रस्ताव, और अभियोजन एजेंसी या निजी शिकायतकर्ता आरोप पत्र दाखिल करने के लिए आगे बढ़ेगा।

15 के भीतर अभियोजन शुरू करने के लिए अदालत में शिकायत

उपर्युक्त समय-सीमा की समाप्ति के दिन।

26. 2018 में एक और विधायी विकास हुआ जब संसद ने पी. सी. अधिनियम में संशोधन के माध्यम से

पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान;

" 19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है। -

(1) कोई भी अदालत धारा 7,11,13 और 15 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जो कथित रूप से एक लोक सेवक द्वारा किया गया है, सिवाय पिछली मंजूरी [[2022] 19 एस. सी. आर. के।

जैसा कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है,

2013]

((a) के मामले में।

((ख) के मामले में।

((ग) के मामले में।

आगे यह प्रदान किया।

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार या कोई सक्षम

प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत एक लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद, तीन की अवधि के भीतर ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय देने का प्रयास करेगा।

इसकी प्राप्ति की तारीख से महीनेः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां अनुदान के उद्देश्य से

अभियोजन के लिए मंजूरी, कानूनी परामर्श की आवश्यकता है, ऐसी अवधि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए,

एक महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया गयाः बशर्ते कि केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए

लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी, इस तरह निर्धारित करें

दिशानिर्देश जो आवश्यक समझते हैं।

27. धारा 19 का नया परंतुक यह अनिवार्य करता है कि सक्षम प्राधिकारी प्रस्ताव पर निर्णय को सूचित करने का प्रयास करेगा

तीन महीने की अवधि के भीतर मंजूरी को केवल एक बाध्यकारी वैधानिक दायित्व के रूप में पढ़ा और समझा जा सकता है। हम विद्वान ए. एस. जी. के इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि यह परंतुक प्रकृति में केवल निर्देशिका है।

सबसे पहले, राज्य की सभी शाखाओं, न्यायपालिका 24, विधायी 25 और कार्यपालिका 26 द्वारा शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने को परंतुक में अभिव्यक्ति प्रयास की शाब्दिक व्याख्या द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

28. मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कानून के शासन को बनाए रखने में जनता का विश्वास, जो न्याय के प्रशासन में मौलिक है, यहाँ दांव पर है। मंजूरी के लिए अनुरोध पर विचार करने में

देरी करके, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण न्यायिक जांच को बाधित करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के निर्धारण की प्रक्रिया दूषित हो जाती है।

24 1998 में विनीत नारायण मामले में व्यक्त की गई चिंताओं से शुरू होकर, सुब्रमण्यम स्वामी में निर्णय के बाद।

25 2003 में सी. वी. सी. अधिनियम पारित किया गया, और पी. सी. अधिनियम और सी. वी. सी. अधिनियम के प्रावधान में संशोधन करते हुए लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम और पी. सी. अधिनियम में 2018 के संशोधन भी। 26 सीवीसी द्वारा 2003 से समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देश।

विजय राजमोहन बनाम। पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

भ्रष्ट अधिकारी 2 7 के खिलाफ आरोप। भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा चलाने में देरी दंड से मुक्ति की संस्कृति को जन्म देती है और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के अस्तित्व के लिए व्यवस्थित त्याग की ओर ले जाती है। इस तरह की निष्क्रियता आने वाली पीढ़ियों को जीवन के तरीके के रूप में भ्रष्टाचार के आदी होने के जोखिम से भरी हुई है। इस संदर्भ में देखे जाने पर, शीघ्र निर्णय लेने का कर्तव्य नियुक्ति प्राधिकरण में मंजूरी देने या न देने की शक्ति में निहित है। वास्तव में, धारा 19 के 2018 के संशोधन के उद्देश्य और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उद्देश्य की व्याख्या करता हैः -

" 2 (i) इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले के आलोक में, केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी के लिए स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करने के प्रश्न की भी जांच की गई, जिसमें वह चरण भी शामिल है जिस पर मंजूरी मांगी जा सकती है, समय सीमा जिसके भीतर आदेश पारित किया जाना है और अधिनियम की धारा 19 में उचित प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम "। 28

29. संसद की मंशा धारा 19 के पहले परंतुक के संयुक्त पठन से स्पष्ट होती है, जिसमें इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है - ' बाद के प्रावधानों के साथ प्रयास करें। तीसरे परंतुक में कहा गया है कि कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद ही विस्तारित अवधि केवल एक महीने के लिए दी जा सकती है। आगे कोई विस्तार नहीं है। चौथा परंतुक, जो केंद्र सरकार को आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार देता है

इस संबंध में जनादेश सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसद का इरादा था कि

मंजूरी का अनुदान चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें एक महीने की विस्तारित अवधि शामिल है।

30. यदि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के लिए समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना अनिवार्य है, तो इसका पालन न करने का परिणाम

अनिवार्य अवधि की जांच की जानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी में, इस न्यायालय ने सुझाव दिया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो संसद मानित मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर सकती है। अपीलार्थी यहाँ तर्क देता है कि

इसके बिल्कुल विपरीत कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

27 सुप्रा-सुब्रमण्यम स्वामी 28 विधेयक सं। 2013 का एल. आई. आई., जी. ओ. आई. (पूर्व) भाग II धारा 2 सं. 31 दिनांक 19.8.2013 (वर्ष 2018 में लागू संशोधन)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. सबसे पहले, एक अनिवार्य अवधि के साथ गैर-अनुपालन

आपराधिक कार्यवाही को स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए एक लोक सेवक के अभियोजन का लोक हित का एक तत्व है जिसका कानून के शासन पर सीधा असर पड़ता है। यह भी एक गैर-अनुक्रम है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता या पीड़ित के पास न्यायिक निवारण के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है यदि आपराधिक कार्यवाही स्वचालित रूप से रद्द हो जाती है। साथ ही, मानित मंजूरी देने का निर्णय अभियुक्त के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में विवेक का प्रयोग न करना भी होगा।

32. इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच ही न्यायालय को नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने

अनुदान देने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर डाले गए कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए

निर्धारित अवधि के भीतर मंजूरी। समय के भीतर मंजूरी देने में कर्तव्य की लापरवाही का परिणाम होना चाहिए। निर्दिष्ट किया गया। मंजूरी देने में देरी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को जवाबदेह बनाना आगे का रास्ता है।

33. जवाबदेही अपने आप में प्रशासनिक कानून का एक अनिवार्य सिद्धांत है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा प्रभावी होगी और

प्रभारी अधिकारी या प्राधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करके सार्थक।

34. जवाबदेही के सिद्धांत को एक आधारशिला माना जाता है

मानवाधिकार संरचना। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्राधिकरण में "कर्तव्य धारकों" और उनके कार्यों से प्रभावित "अधिकार धारकों" के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। संस्थानों की जवाबदेही भी 2015-30 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए विकास लक्ष्यों में से एक है और यह भी है

नागरिक चार्टर आंदोलन 3 1 के छह सिद्धांतों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त। 29 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मनमोहन सिंह और अन्र, (2012) 3 एस. सी. सी. 64 76। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कानून के शासन को बनाए रखने में जनता का विश्वास दांव पर है जो न्याय के प्रशासन में मौलिक है। इस तरह की मंजूरी देने में देरी ने कई वैध अभियोजनों को खराब कर दिया है और जनता के दिमाग में यह प्रतिकूल रूप से देखा जाता है कि मंजूरी के लिए प्रार्थना पर विचार करने के नाम पर, एक भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रतिदान के रूप में संरक्षण दिया जाता है।

एक ही कुकर्म में भागीदार थे या हैं।

77. मंजूरी के अनुरोध पर विचार करने में देरी करके, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण न्यायिक जांच और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आरोपों के निर्धारण को बाधित करता है और इस प्रकार न्यायिक

संस्थानों की वैधता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, यह एक नागरिक को आपराधिक कानून को लागू करके न्याय प्राप्त करने के उसके वैध और मौलिक अधिकार से वंचित करता है और इस तरह उसकी पहुंच के अधिकार को विफल कर देता है।

न्यायिक उपचार जो संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।

30 नई दिल्ली में मई 1997 में आयोजित 'विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन' में सरकार द्वारा अपनाया गया 31 नागरिक चार्टर, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 70/1 दिनांक 25 सितंबर, 2015 से उपलब्ध है। //गोइचार्टर्स। ठीक है। इन/पब्लिक/वेबसाइट/होम।

विजय राजमोहन बनाम। पुलिस निरीक्षक, सी. बी. आई., ए. सी. बी., चेन्नई, तमिल नाडु [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

35. उत्तरदायित्व के तीन आवश्यक घटक आयाम हैं। ((i) उत्तरदायित्व, (ii) उत्तरदायित्व और (iii) प्रवर्तनीयता। जिम्मेदारी

प्राधिकरण में और अधिकारियों के साथ व्यक्तियों के कर्तव्यों और प्रदर्शन दायित्वों की पहचान की आवश्यकता होती है। जवाबदेह होने की आवश्यकता

विवेकपूर्ण निर्णय लेना ताकि जनता सहित उनके निर्णयों से प्रभावित लोग इसके बारे में जागरूक हों। प्रवर्तनीयता के लिए जिम्मेदारी की कमी के खिलाफ उचित सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

36. उत्तरदायित्व, प्रशासनिक कानून के एक सिद्धांत के रूप में, जब हम जिस मुद्दे से निपट रहे हैं, उस पर लागू होता है, तो इसका अनुवाद इस तरह से होता है। लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने की जिम्मेदारी पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत हमेशा नियुक्ति प्राधिकरण में निहित होता है।

नियुक्ति प्राधिकारी की पहचान हमेशा स्पष्ट और सीधी होती है। 2018 का संशोधन विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकरण को बाध्य करता है -

तीन महीने के भीतर निर्णय से अवगत कराना और एक महीने की विस्तारित अवधि के लिए लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों का प्रावधान करना। यह संशोधन, वास्तव में, जवाबदेही के दूसरे घटक के विधायी समावेश का प्रमाण देता है। प्रवर्तनीयता के लिए, संसद ने सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (एफ) के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को सक्षम अधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकार दिया है, और इस कार्य को अपनी व्यापक शक्ति के भीतर लेना चाहिए।

अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। सीवीसी की यह शक्ति और जिम्मेदारी क़ानून के प्रावधानों से स्पष्ट है और इसे सौंपे गए कार्यों से समझ में आती है।

37. अंत में, हम मानते हैं कि तीन महीने और अतिरिक्त एक महीने की अवधि समाप्त होने पर, पीड़ित पक्ष, चाहे वह

शिकायतकर्ता, अभियुक्त या पीड़ित, संबंधित रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने का हकदार होगा। वे मंजूरी के अनुरोध पर कार्रवाई के लिए निर्देश और मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की जवाबदेही पर सुधारात्मक उपाय सहित उचित उपचार की मांग करने के हकदार हैं।

32 देखिएः मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, कौन उत्तरदायी होगा? मानवाधिकार और 2015 के बाद का विकास एजेंडा, जो एच. टी. पी. से उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ओहचर। ओ. आर. जी./दस्तावेज़/प्रकाशन/कौन उत्तरदायी होगा।

38. दूसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया जाता है कि कानूनी परामर्श के लिए तीन महीने की अवधि, जिसे एक और महीने के लिए बढ़ाया गया है, अनिवार्य है। इस अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने का परिणाम उसी कारण से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी देरी के लिए उत्तरदायी होगा। और सीवीसी अधिनियम की धारा 8 (1) (एफ) के तहत सीवीसी द्वारा न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होगा।

39. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हमने देखा है कि सी. बी. आई. ने अभियोजन की मंजूरी के लिए आवेदन किया था

सी. वी. सी. ने कहा कि सी. बी. आई. के पास देरी से जवाब देने का कोई अवसर नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार यह निवेदन उठाया गया था। यद्यपि विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इस याचिका को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बिना किसी तकनीकीता पर खड़े हुए, हम मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ते यदि आवश्यक सामग्री मामले के रिकॉर्ड में होती। चूँकि जाँच के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है समय के भीतर मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय नहीं लेने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की जवाबदेही, हम इसे अपीलार्थी पर छोड़ देते हैं कि वह उन सिद्धांतों के आधार पर उचित उपाय मांगे जो हमने ऊपर निर्धारित किए हैं।

40. ऊपर बताए गए कारणों से, हम 2022 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.1568 से उत्पन्न आपराधिक अपील को खारिज करते हैं।

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 349 दिनांक 06.01.2022 में मद्रास उच्च न्यायालय। हम याचिकाकर्ता को ऐसे उपायों को उठाने और उनकी मांग करने की अनुमति देते हैं जो निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर कानून में अनुमत हैं।

हमारे द्वारा।

41. पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

या

चिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः शिवानी पुंडिर, एलसीआरए)